राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/27901 जयपुर, दिनांक: 10/7/17

आदेश

नगर निगम कोटा के प्रस्ताव पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 सपठित धारा 325 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर निगम कोटा विवाह स्थल पंजीयन उपविधि, 2010 के उपनियम 10 (ब) में कोटा नगर निगम क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलो के उपयोग एवं उपभोग की अनुमति शुल्क राशि 25/– प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष के स्थान पर 10 रूपये प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/27902-27909 दिनांक: 10/7/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर नगर निगम कोटा।
04. आयुक्त, नगर निगम कोटा।
05. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज–पत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं 5 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM15 Order.doc